

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-194/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० रीता कुमारी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का दिनांक-09.07.1997 से 26.09.1999 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-27.09.1999 से 21.12.1999 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

1.	दिनांक-09.07.1997 से 26.09.1999 तक (कुल-810 दिन)	
i.	दिनांक-09.07.1997 से 26.09.1999 तक	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
2.	दिनांक-27.09.1999 से 21.12.1999 तक (कुल-86 दिन)	
i.	दिनांक-27.09.1999 से 03.10.1999 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)
ii.	दिनांक-04.10.1999 से 08.10.1999 तक	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहित व नियम-236 के आलोक में)
iii.	दिनांक-09.10.1999 से 26.11.1999 तक	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक-27.11.1999 से 21.12.1999 तक	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा सहित व नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सड़मति एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनांद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-194/2026- 2361(2) पटना, दिनांक 25/9 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी पटना/डा० रीता कुमारी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/प्रशाखा-3, 9 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wamuk 24/9/26
सरकार के उप सचिव